"Together We Stop Child Marriages"

बाल विवाह के विरुद्ध व्यापक मुहिम:-

बांदा पुलिस द्वारा जनपद में बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को समाप्त करने हेतु विशेष जन-जागरूकता अभियान आरंभ किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को बाल विवाह की गंभीरता और इसके दुष्परिणामों के प्रति सजग करना है-

1- कानूनी जागरूकता अभियान:-

आम नागरिकों को निम्नलिखित कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया जा रहा है:

A. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition of Child Marriage Act, 2006):-

- लड़कों के लिए न्यूनतम विवाह आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित है।
- बाल विवाह करने, कराने, प्रोत्साहित करने या उसमें भागीदारी करने पर दो वर्ष तक का कारावास अथवा एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
- बाल विवाह अवैध माना जाता है और पीड़ित बालक/बालिका द्वारा विवाह को शून्य घोषित करवाया जा सकता है।

B. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-63:-

यदि कोई अभिभावक, रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति बाल विवाह में संलिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

C. यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act, 2012):-

यदि बाल विवाह के चलते शारीरिक शोषण का मामला सामने आता है तो POCSO अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

2- **हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रावधान:**

बाल विवाह की सूचना निम्नलिखित हेल्पलाइन नम्बरों पर की जा सकती है। शिकायतकर्ता की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी और तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी-

- डायल यूपी-112
- महिला हेल्पलाइन- 1090
- चाइल्डलाइन (बाल सहायता सेवा)- 1098

3- सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम:

- पुलिस द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायत भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर संवाद सत्र (Dialogue Sessions) आयोजित किए जा रहे हैं।
- जनजागरूकता रैलियों, पोस्टर प्रदर्शनी, नारे लेखन प्रतियोगिता, और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक संदेश पहुँचाया जा रहा है।

4- समर्पित टीमों का गठन:

प्रत्येक थाना स्तर पर बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो बाल विवाह सम्बन्धी संदिग्ध आयोजनों पर सतर्क दृष्टि बनाए रखते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं।

5- सम्माननीय नागरिकों से अपील:

बांदा पुलिस समाज के सभी जागरूक नागरिकों, अभिभावकों, शिक्षकों, धर्मगुरुओं और युवाओं से अपील करती है कि वे बाल विवाह जैसी कुरीति के विरुद्ध एकजुट हों। यदि किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना प्राप्त हो तो बिना विलंब के स्थानीय पुलिस अथवा हेल्पलाइन नम्बरों पर सूचित करें।

बांदा पुलिस का संकल्प:

"बाल विवाह के विरुद्ध लड़ाई - हर बच्चे का हक सुरक्षित कराएँ!"

हम सब मिलकर एक बाल विवाह मुक्त, शिक्षित और सशक्त बांदा के निर्माण का संकल्प लेते हैं।